राजेश कुमार, भा.प्र.से.
आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

बिहार सरकार

दूरभाष :- 06454 - 243199,
ई0मेल :- divcom-purnea-bih@nic.in

राजेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा दिनांक-15.01.2026 को अनुमंडल कार्यालय, तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय, फारबिसगंज, अररिया के किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी :-

निरीक्षण के क्रम में समाहर्त्ता, अररिया, अपर समाहर्त्ता, अररिया, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज तथा फारबिसगंज अनुमंडल के सभी अंचल के अंचल अधिकारी उपस्थित थे। सभी संबंधित कार्यालयों के आवश्यक कार्य कलाप विशेष रूप से राजस्व संबंधी मामलों, न्यायालय से संबंधित मामलों आदि की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्रवाई का निदेश दिया जाता है :-

1. अनुमंडल कार्यालय एवं कार्यालय परिसर की साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। अनुमंडल न्यायालय के बगल के स्टोर रूम में सामान अव्यवस्थित रूप में पाया गया।
2. अवमाननावाद/रिट याचिका से संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामले में कारण-पृच्छा/शपथ पत्र ससमय दायर किया जाय।
3. कार्यालय में न्यायालय, राजस्व एवं वित्तीय अभिलेखों का समुचित संधारण सुनिश्चित किया जाय। लंबित अग्रिम तथा अभिश्रव के समायोजन की कार्रवाई एक माह के अंदर सुनिश्चित किया जाय।

   अनुमंडल कार्यालय के रोकड़ पंजी के अनुसार अग्रिम-7 लाख 68 हजार, नगर पंचायत अग्रिम-70 हजार तथा असमायोजित अभिश्रव लगभग 40 लाख है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के रोकड़ पंजी के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि को यथा नियमानुसार बैंक में तुरंत जमा करने तथा कोषागार में संगत नियमानुसार जमा नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित जमा विवरणी पायी गयीः-

कुल बैंक जमा राशि	:- 895603.66
नगर पंचायत अग्रिम	:- 70465.00
अभिश्रव	:- 4092775.04

   अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को निदेशित किया जाता है कि संगत नियमों के आलोक में सरकारी राशि का रख-रखाव सुनिश्चित करेंगे। अग्रिम एवं अभिश्रव के समायोजन हेतु ठोस कार्रवाई करेंगे तथा एक माह के अंदर इन लंबित मामलों का निष्पादन करेंगे। जिन मामलों में अग्रिम के विरूद्ध लंबी अवधि तक अभिश्रव कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है उनमें संबंधित कर्मी से यथाशीघ्र वसूली की जाय।
4. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में 48(ई) बटाईदारी से संबंधित कुल 688 वाद लंबित है। परंतु RCMS Portal पर मात्र 146 वादों की ही प्रविष्टि की गयी है। इसी प्रकार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 से संबंधित कुल 206 वाद लंबित है। परंतु RCMS Portal पर 198 वाद लंबित प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पुराना वाद संख्या-151/2022-23 है। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 (अपीलवाद) से संबंधित कुल 4369 वाद लंबित हैं जिनमें 4186 की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को निदेश दिया जाता है कि RCMS Portal पर शत-प्रतिशत वादों की प्रविष्टि करते हुए लंबित वादों का शीघ्र निस्तार किया जाय।

बी0एल0डी0आर0 के अंतर्गत 206 मामला है जिसमें सबसे पुराना मामला 151/2022-23 है। नीलाम पत्र के तहत 26 मामला लंबित है। जिसमें सबसे पुराना वाद-12/13-14 है।

अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचल अधिकारी नियमित रूप से राजस्व न्यायालय के कार्य सम्पादित करेंगे। पुराने लंबित मामले में उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए शीघ्र निष्पादन किया जाय। राजस्व वाद दायर होते ही प्रारंभिक जाँच कर कार्रवाई प्रारंभ की जाय। नोटिस का तामिला 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाय। उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए सकारण आदेश से वाद के नियमित निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

5. फारबिसगंज अनुमंडल के सभी अंचलों के मापी कार्यों की समीक्षा में यह पाया गया कि अभी भी काफी संख्या में मामले मापी हेतु लंबित है। इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि आवागमन की सुविधा को देखते हुए मापी हेतु प्राप्त आवेदनों में से एक ही क्षेत्र के मापी की एक ही तिथि निर्धारित किया जाय। ताकि लंबित मामलों का त्वरित निस्पादन हो सके। कई लंबित मामलों के संदर्भ में विपक्षी/अन्य लोगों द्वारा विवाद उत्पन्न करने की बात बताई गई। इस संबंध में निर्धारित SOP का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार पुलिस बल की उपस्थिति में विडियोग्राफी कराते हुए तथा सभी तथ्यों को अंकित करते हुए मापी प्रतिवेदन तैयार किया जाए। तदनुसार एक माह से अधिक लंबित सभी मापी कार्य का निष्पादन किया जाय।

6. अंचल कार्यालय, फारबिसगंज में Mutation के 2617 वाद लंबित हैं जिनमें 1814 वाद 35 दिनों से अधिक समय से एवं 537 वाद 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। 633 आवेदन अंचलाधिकारी, के लॉगिन में, 607 आवेदन राजस्व अधिकारी, 191 अंचल निरीक्षक के लॉगिन में एवं 154 कर्मचारियों के लॉगिन में लंबित हैं। CO के लॉगिन में अंतिम आदेश हेतु मामले 221, आम सूचना/खास सूचना हेतु 75 तथा RO cum CO के लॉगिन में अंतिम आदेश हेतु 141 मामले, आम सूचना/खास सूचना हेतु 75 मामले लंबित हैं।

अंचल कार्यालय, नरपतगंज में Mutation के 1204 वाद लंबित हैं जिनमें 421 वाद 35 दिनों से अधिक समय से एवं 204 वाद 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। 289 आवेदन अंचलाधिकारी, के लॉगिन में, 271 आवेदन राजस्व अधिकारी, 03 अंचल निरीक्षक के लॉगिन में एवं 89 कर्मचारियों के लॉगिन में लंबित हैं। CO के लॉगिन में अंतिम आदेश हेतु मामले 05, आम सूचना/खास सूचना हेतु 49 तथा RO cum CO के लॉगिन में अंतिम आदेश हेतु 23 मामले, आम सूचना/खास सूचना हेतु 00 मामले लंबित हैं।

अंचल कार्यालय, भरगामा में Mutation के 722 वाद लंबित हैं जिनमें 294 वाद 35 दिनों से अधिक समय से एवं 219 वाद 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। 180 आवेदन अंचलाधिकारी, के लॉगिन में, 136 आवेदन राजस्व अधिकारी, 02 अंचल निरीक्षक के लॉगिन में एवं 30 कर्मचारियों के लॉगिन में लंबित हैं। CO के लॉगिन में अंतिम आदेश हेतु मामले 107, आम सूचना/खास सूचना हेतु 62 तथा RO cum CO के लॉगिन में अंतिम आदेश हेतु 81 मामले, आम सूचना/खास सूचना हेतु 00 मामले लंबित हैं।

अंचलाधिकारी, फारबिसगंज, नरपतगंज एवं भरगामा कार्यालय में Mutation के लिए प्राप्त आवेदनों की अस्वीकृति का प्रतिशत काफी अधिक है जो क्रमशः 54.01, 52.61 एवं 53.20 है।

7. अंचलाधिकारी, फारबिसगंज, नरपतगंज एवं भरगामा कार्यालय में LPC के लिए प्राप्त आवेदनों की अस्वीकृति का प्रतिशत काफी अधिक है जो क्रमशः 21.76, 32.68 एवं 23.21 है। Parimarjan Plus [Online Jamabandi] के 1005 आवेदन अंचलाधिकारी, फारबिसगंज के स्तर पर एवं 502

आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं। 81 आवेदन अंचलाधिकारी, नरपतगंज के स्तर पर एवं 561 आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं। 151 आवेदन अंचलाधिकारी, भरगामा के स्तर पर एवं 298 आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं।

Parimarjan Plus [Left Out Jamabandi] के 2150 आवेदन अंचलाधिकारी, फारबिसगंज के स्तर पर एवं 452 आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं। 39 आवेदन अंचलाधिकारी, नरपतगंज के स्तर पर एवं 555 आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं। 73 आवेदन अंचलाधिकारी, भरगामा के स्तर पर एवं 165 आवेदन राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित हैं।

अभियान बसेरा-2 के तहत प्राप्त आवेदनों में से Not Fit For Allotment अंकित करते हुए फारबिसगंज, नरपतगंज, तथा भरगामा द्वारा क्रमशः 179, 403 एवं 21 आवेदनों का निस्तार किया गया है। जो अधिक प्रतीत होता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर इसकी समीक्षा कर ली जाए।

8. अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत नरपतगंज में 568 सेंक्शन के विरूद्ध 430 Not fit for allotment घोषित किया गया है। जबकि फारबिसगंज में 214 में 179 को Not fit for allotment है। इसकी जाँच कराने का निदेश जिला पदाधिकारी को दिया गया।

9. अनुमंडल अंतर्गत्त सभी अंचलों में सरकारी भूमि का निजी व्यक्तियों के नाम किये जाने की काफी शिकायतें प्राप्त हो रही है। सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सभी हल्का/पंचायत की पूरी समीक्षा करके ऐसे सभी मामलो को यथाशीघ्र विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। किये गये अपलोड की एक प्रति ई-मेल के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को भी भेजी जाय। ऐसे सभी मामलों को चिन्हित करते हुए तत्काल जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव तैयार कर अपर समाहर्त्ता को भेजा जाय। अपर समाहर्त्ता संबंधित पक्षकार को नोटिस करते हुए त्वरित रूप से सुनवाई कर सरकारी जमीन पर ऐसे सभी गलत जमाबंदी को रद्द करने के संदर्भ में सकारण आदेश से निस्तार करेंगे।

10. भू-समाधान पोर्टल की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि फारबिसगंज अंचल में कुल 127 आवेदनों की प्रविष्टि हुई है। जिसमें 120 सामान्य एवं 07 संवेदनशील प्रकृति के हैं। 92 आवेदनों का अंतिम निष्पादन, 07 आवेदनों का प्रारंभिक निष्पादन हो चुका है एवं 28 प्रक्रियाधीन है। नरपतगंज अंचल में कुल 65 आवेदनों की प्रविष्टि हुई है। जिसमें 59 सामान्य, 05 संवेदनशील एवं 01 अति संवेदनशील प्रकृति के हैं। 11 आवेदनों का अंतिम निष्पादन, 34 आवेदनों का प्रारंभिक निष्पादन हो चुका है एवं 20 लंबित हैं। भरगामा अंचल में कुल 480 आवेदनों की प्रविष्टि हुई है। जिसमें 477 सामान्य एवं 03 संवेदनशील प्रकृति के हैं। 463 आवेदनों का अंतिम निष्पादन हो चुका है एवं 17 प्रक्रियाधीन है।

निदेश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी भू-समाधान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत प्रविष्टि करायेंगे एवं प्रत्येक शनिवारीय बैठक की कार्यवाही पोर्टल पर अपलोड करायेंगे तथा पोर्टल को लगातार अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे।

11. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को निदेश दिया जाता है कि अगले एक माह के अंदर सभी अंचल का निरीक्षण करते हुए निरीक्षण/समीक्षा के सभी बिन्दुओं पर निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध करायेंगे।

12. निरीक्षण के क्रम में निदेश दिया गया कि सभी राजस्व पदाधिकारी दाखिल खारिज वाद के संदर्भ में हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के आलोक में संगत कागजातों की पूरी जाँच करते हुए आवेदित जमीन

के संदर्भ में विक्रेता/क्रेता के Legal Right को विनिश्चित करते हुए सकारण एवं सही मंतव्य के साथ अंचल अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। समरूप कार्रवाई हल्का कर्मचारी के स्तर से भी अपेक्षित है। ताकि गलत दाखिल खारिज के शिकायत की भविष्य में स्थिति न बने। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई सभी अंचल के अंचल अधिकारी, राजस्व पदाधिकारी एवं हल्का कर्मचारी की बैठक आयोजित करते हुए दाखिल खारिज आवेदनों के ससमय एवं नियमानुसार निस्तार हेतु आवश्यक training देंगे।

13. अंचल कार्यालय, फारबिसगंज के परिसर में चल रहे कौशल युवा केन्द्र का निरीक्षण किया गया है। केन्द्र पर कॉडिनेटर के अलावे एक अन्य कर्मी मोजूद थे। कक्षा संचालित नहीं पाया गया। पूछने पर बताया गया कि कुछ दिन पूर्व कक्षा समाप्त हुआ है। कौशल युवा केन्द्र में कुल 25 विद्यार्थियों के लिए नामांकन की व्यवस्था है जिसमें मात्र 12 विद्यार्थी का ही पिछले कक्षा में नामांकन लिया गया था। जिनका परीक्षा होना अभी शेष है।

14. अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचल अधिकारी नियमित रूप से राजस्व न्यायालय के कार्य सम्पादित करेंगे। पुराने लंबित मामले में उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए शीघ्र निष्पादन किया जाय। राजस्व वाद दायर होते ही प्रारंभिक जाँच कर कार्रवाई प्रारंभ की जाय। नोटिस का तामिला अधिकतम 3 सप्ताह के अंदर सुनिश्चित किया जाय। उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए सकारण आदेश से वाद के नियमित निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्रवाई करते हुए 4 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन देने का निदेश अपर समाहर्त्ता, अररिया को दिया जाता है।

ह०/-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक ......647...... पूर्णिया, दिनांक 02-02-2026

प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अपर समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी, फारबिसगंज, नरपतगंज एवं भरगामा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

02/2/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।